



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22 OCT 2017

BU 35180



सुरेन्द्र यादव
 सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव
 नि सलेमपुर वाजिदपुर तहसील-
 जिला- गाजीपुर
 विसर्जित/अध्यक्ष 21.10.17-1-2

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

निर्मल मूलचानी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 11.10.17 को ग्राम सलेमपुर वाजिदपुर तहसील- जखनियां जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) में सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव निवासी ग्राम सलेमपुर वाजिदपुर तहसील- जखनियां जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) द्वारा घोषित किया गया। जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5000/ (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट निर्मल मूलचानी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

सुरेन्द्र यादव

सुरेन्द्र यादव
 प्रमुख/अध्यक्ष
 निर्मल मूलचानी एजुकेशनल एण्ड
 वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर
 गाजीपुर (उ०प्र०) कमरा:.....2

19/11/20 9-9
2018

कामका 900 क्र 98.66

प्रयोजन - इस्ट

शेता - सुरेन्द्र यादव उव निर्मल यादव

सां - सलेमपुर परगना शाहियाबाद जिला जखनिया

श्रीमनाथ सिंह यादव

श्रीमनाथ सिंह यादव

सां 80-20 अंश 14

जखनिया-खजानवा, गांवपुर

नमासपत्र- 5000/-

रक निवन्धन शुल्क प्रतिलिपि बांग शुद्ध कामका
200/- 500/- 250/- 3000

श्री सुरेन्द्र यादव श्री निर्मल यादव
जखिया सलेमपुर शाहियाबाद जखनिया

1-1-2014 3

सुरेन्द्र यादव

जखनिया

1-1-2014
जखनिया



लेखन व सत्यापन के लिए सप्तम

जखनिया

श्री सुरेन्द्र यादव उव उक्त

श्री राजकुमार यादव श्री विवेक यादव
जखिया सलेमपुर शाहियाबाद जखनिया

श्री प्रमोद सिंह यादव उव उक्त

जखिया-सुरेन्द्र का निर्वाचक कार्ड

1-1-2014

सुरेन्द्र यादव

राजकुमार यादव

जखनिया



सक साक्षरों के लिए

होते।

1-1-2014

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 351801

22 OCT 2017

(2)

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता /संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- (पांच हजार) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है, क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम सलेमपुर, वाजिदपुर तहसील- जखनियां जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम ग्राम सलेमपुर, वाजिदपुर तहसील- जखनियां जिला-गाजीपुर (उ०प्र०) अदि एक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता / ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

सुरेन्द्र पादव

सुरेन्द्र पादव
प्रधान/अध्यक्ष

कमरा.....3

निर्मल मुल्तानी एजुकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर
गाजीपुर (उ०प्र०)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

2 FEB 1981
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 907841

(3)

निर्मल मूलचानी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली -

ट्रस्ट के उद्देश्य - ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1. बिना लिंग भेद किये केन्द्र सरकार व राज्य द्वारा सबके लिए प्राथमिक पाठशाला ,जूनियर हाई स्कूल ,इण्टरमीडिएट कालेज महाविद्यालय ,पी0जी0 कालेज ,बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, पुस्तकालयों,वाचनालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों,अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों,अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों,कम्प्यूटर केन्द्रों ,निराश्रित केन्द्रों ,सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों,पर्यावरण ,एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना,नामकरण विकास,सम्बद्ध आबद्ध,प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों ,संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत,अनुमोदित स्वीकृत करा सकता ।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना ।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना ।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।

सुरेन्द्र पादव

सुरेन्द्र पादव

पत्रिका/अध्यक्ष

निर्मल मूलचानी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर गाजीपुर (उप्र)

कमशा:.....4

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034771

(4)

6. महिला एवं बाल विकास ,एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना ।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण ,नाबार्ड ,कपार्ट ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण,नेहरु युवा केन्द्र,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना
10. आई0आई0टी0,आई0टी0आई,फार्मसी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन ,टेक्निशियन,लैब टेक्निशियन ,फिजीयों थीरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र ,मेडिकल स्टोर ,जनरल स्टोर ,किराना की दुकान फोटो स्टेट,टाइपिंग ,कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।
12. पुस्तकालय वाचनालय पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण ,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।
13. अंधे,गूंगे,बहरे,असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा ,आवास ,भोजनकी व्यवस्था व,पुनर्वास,की स्थापना एवं संचालन करना ।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला ,वाणिज्यिक वैज्ञानिक ,क्रीडा ,मार्शल आर्ट ,संगीत ,तकनीकी ,सामाजिक ,आधुनिक ,भाषा अंग्रेजी ,उर्दू ,कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

सुरेश पाख

निर्मल मूलरानी एल्यूकेशनल एण्ड कमश:.....5
नर्फेयर टाइट सलेमपर ताजिदपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034772

-5-

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।
16. पुस्तको साहित्य, पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना ।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्कैन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।
23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
24. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना ।
25. कृषि, बागवानी व फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं समाचार-पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।

प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्माण, एन.ए.के. एजुकेशन, ए.ए.ए.ए.ए.
बेलगछिया, लखनऊ

मार्गदर्शक/अध्यक्ष
मार्गदर्शक/अध्यक्ष
कमरा:.....6
मार्गदर्शक/अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034773

-6-

27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन,अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।
29. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना ।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना ।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता ,स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना,विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं /वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण ,मछली पालन ,पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना ।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

सुरेश चन्द

सुरेश चन्द
प्रबन्धक/अध्यक्ष
निर्मल मूलचानी एजुकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर
गाजीपुर (JGPRD) कमरा.....7

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034774

- 7 -

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना ।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना ।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।
41. दलित पिछड़ों अल्प संख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।
42. धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन - प्रशासन तक पहुंचाना ।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।
44. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम किया-कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना ।

प्रारम्भिक उपबन्ध -

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से सुरेन्द्र यादव जो कि न्यासकर्ता एवं न्यासविलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो सुरेन्द्र यादव की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे ।

सुरेन्द्र यादव

सुरेन्द्र यादव
प्रबन्धक/अध्यक्ष
कमेश:.....8

निर्मल मूलरानी एजुकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर ताजिदपुर
गाजीपुर (3030)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034775

-8-

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पद मुक्त करने की शर्तें निम्न हैं, मृत्यु, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों से ज्यादा सजा दिये जाने या पागल होन पर, दिवालिया होन पर, त्याग-पत्र देने पर पद मुक्ति / निष्काषित किया जा सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण

1. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

सुरेन्द्र पादव

सुरेन्द्र पादव
प्रबन्धक/अध्यक्ष

निगल मूलचानी एजुकेशनल ट्रस्ट
बेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर गाजिदपुर
गाजीपुर (3080)

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034776

-9-

5. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत /इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा ।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया , कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

(4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज -

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है,जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे ।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

सुरेश यादव

प्रबन्धक/अध्यक्ष

कमरा: 10
मूल्यानी एजुकेशनल ट्रस्ट
बेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर
गाजीपुर (2090)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034777

- 10 -

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा ।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

(5) अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

1. यह कि अध्यक्ष /ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।
2. यह कि ट्रस्टी /अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय /भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा । ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(6) कार्य क्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा । वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है । अथवा सहायता व राय दे सकता है ।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत

सुरेश पादव

सुरेश पादव
प्रबन्धक/अध्यक्ष

निर्मल मूलवानी एजुकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर नजिदपुर
गजीपुर (UP)

कमरा 11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034778

(11)

किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य-कलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

सुरेश यादव

सुरेश यादव
प्रबंधक/अध्यक्ष

निर्मल मूलघानी एकेडमी 12
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर गाजिदपुर
गाजीपुर (30201)

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034779

-12-

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक, प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।
- (10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-
यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष / ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे :-
- (क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उप सचिवों की नियुक्ति करना।
(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
- (11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-
अध्यक्ष / ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।
- (12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-
ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है।
ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :-
1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
 2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
 3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पूर्व मुक्त वृत्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशंसनात्मक कार्यवाही करना।

सुरेश चन्द्र

प्रबन्धक/अध्यक्ष
निर्मल मूलचानी कनशा. 13
देलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर अजिदपुर
साजोपुर (3090)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034780

-13-

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/ केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
 5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
 6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
 7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
 8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को कर सकना।
- (13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-
1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
 2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त है।
 3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
- (14) बैंक एकाउन्ट :-
1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है। अथवा संचालित कर सकता है।
 2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

सुरेश चन्द

सुरेश चन्द
प्रबन्धक/अध्यक्ष.....14

निर्मल भूलचानी एजुकेशनल एण्ड
वेलफेयर ट्रस्ट सलेमपुर वाजिदपुर
गाजीपुर (3070)

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AC 034781

-14-

(15) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है। या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. ट्रस्ट का अध्यक्ष चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट का अध्यक्ष चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट का अध्यक्ष चल/अचल सम्पत्ति कय-विकय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है। आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट संचालित संस्था को भूमि, लीज(पट्टा) पर दे सकता है।
5. ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
6. ट्रस्ट का अध्यक्ष धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. ट्रस्ट का अध्यक्ष चल/अचल सम्पत्ति की प्रतीयभूत भाड़ा कय अनुज्ञप्ति बन्धक भारिती गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है, दे सकता है।

सुरेश पादव

प्रबन्धक/अध्यक्ष कमिश्नर.....15

निर्मल मूलभानी एजुकेशनल एण्ड

वेलफेयर ट्रस्ट, राजमठ नजिदपुर

राजीपुर (30501)

